

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्रावस्ती स्थान- भिनगा

राजकुमारी

बनाम

आशीष यादव आदि

परिवाद संख्या- 20/2019

दिनांक- 25.02.2020

परिवाद संख्या 20/19, धारा 323 भा०द०सं० व 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना-इकौना, जिला- श्रावस्ती के मामले में अभियुक्तगण आशीष यादव व सुधाकर शुक्ला की ओर से अंतरिम जमानत बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण ने आज पुनः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। अभियुक्तगण पूर्व तिथि से अंतरिम जमानत पर हैं। अतएव आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण का अंतरिम जमानत नियत तिथि 05.03.2020 तक बढ़ाया जाता है।

(परमेश्वर प्रसाद)

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
श्रावस्ती।